

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/स.प.अ./ 67 /2025 दिनांक : 14 .02.2025

श्रीमती हर्षिता राठौड़ (RJ01298), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौहटन (बालोतरा) को दिनांक 24.02.2025 से 10.03.2025 तक 15 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 22.02.2025 से 23.02.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती राठौड़ की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौहटन (बालोतरा) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौहटन (बालोतरा) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से



14/02/25
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/50/2020/ 1280

दिनांक : 14 .02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा को उनके पत्रांक 1401 दिनांक 31.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती हर्षिता राठौड़ (RJ01298), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौहटन (बालोतरा)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौहटन (बालोतरा)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौहटन (बालोतरा)।


14/02/25
सहायक रजिस्ट्रार